

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (

शंजैय उमर नाम चैतन्य वर्मा
किस्म मुकदमा दावा वं 65 सन 2021

तारीख हुकम	हुकम वा कार्रवाही मय लघुहस्ताक्षर जय
<p>13-9-21</p> <p>20.09.2021</p> <p>अस्त प्रमाण को निहा पतादा 20-9-21</p>	<p>जाता है। वास्ते पेश घेने जकाब हाक पत्र- वली दिनांक 13-9-2021 को पेश हो।</p> <p>दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकिलाय कारर पत्र/प्रमाणपत्र। पीठालीन अधिकारी तीरे/अन्य कार्य में व्यस्त/पोंटिंग है । पत्रावली सप्रिम कार्रवाही हो दिनांक 20/9/21 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी ने उपस्थित होकर उक्त वादपत्र को आगे नहीं चलाकर वादपत्र को विद्धा कर खारीज किये जाने का निवेदन वकील वादी के द्वारा किया गया है। अतः वकील वादी के निवेदन पर वादपत्र को विद्धा कर खारिज किये जाने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दाफ्तर हो।</p> <p>दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> 